वर्तमान में डोईवाला शुगर कम्पनी लि0, डोईवाला में आवास उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, से प्रचलित नियमावली को स्थापित किया गया है।

पंजीकृत कार्यालय
5–मीरा बाई मार्ग,
लखनऊ
दिनांकः 12.02.1996

कार्यालय – ज्ञाप

प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऐसे कार्मिक जिन्हें सम्बन्धित इकाई में आवास उपलब्ध है वे सेवानिवृत्ति अथवा स्थानान्तरण के पश्चात काफी दिनों तक अपना अध्यासन बनाये रखते है जिससे ऐसे चीनी मिलों में स्थानान्तरित हो कर आने वाले तथा जो पूर्व से आवास की उपलब्धता हेतु प्रतीक्षारत हैं को आवास उपलब्ध करवाना सम्भव नही हो पाता। इस समस्या के निदान हेतु प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। निदेशक मण्डल ने विचारोपरान्त कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण सेवा निवृत्त अथवा सेवामुक्ति के उपरान्त भी निगम द्वारा आवंटित आवास रिक्त न किये जाने की दशा में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किराया निर्धारित करने हेतु अनुमति प्रदान की हैः–

(अ) **शुगर बेजबोर्ड द्वारा संस्तुत वेतनमानों में कार्यरत कार्मिक के लिएः–**

(1) स्थानान्तरण, त्यागपत्र अथवा सेवानिव्त्त की स्थिति में एक माह तक बेजबोर्ड नियमों में इंगित किराया लिया जाय। सेवानिवृत्ति अथवा स्थानान्तरण की दशा में इस अवधि से निश्चित रूप से आवास खाली करवा लिया जाय।

(2) स्थानान्तरण की स्थिति में यदि सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर आवास खाली नही करता है तो उसके दो माह किराये की दर एक हजार प्रतिमाह काट दी जाये और 3 माह बाद किराये की दर दो हजार पॉच सौ रूपया प्रतिमाह कर दी जाय।

(ब) **निगम मुख्यालय के वेतनमान में कार्यरत ऐसे कार्मिकों के लिए जिन्हें निःशुल्क आवास उपलब्ध नहीं कराये जातेः–**

(1) स्थानान्तरण की दशा में एक माह तक जो किराया उनकी तैनाती की दशा में कट रहा हो वही किराया वसूल किया जाये।

(2) एक माह बाद और तीन माह की अवधि तक रू0 1000/– प्रतिमाह एवं तीन माह बाद रू0 2500/– कर दिया जाये।

क्रमशः पृष्ठ..2..

(स) <u>निगम मुख्यालय के वेतनमान के ऐसे अधिकारी जिन्हें निःशुल्क आवास उपलब्ध है:—</u>

(1) स्थानान्तरण की दशा में एक माह तक यथावत निःशुल्क आवासीय सुविधा।

(2) एक माह के बाद और एक माह तक अवधि में कुल वेतन का 10 प्रतिशत किराया वसूल किया जाये।

(3) दो माह बाद और चार माह की अवधि तक रू0 2000/— प्रतिमाह एवं चार माह बाद रू0 4000/— प्रतिमाह कर दिया जाये।

उपरोक्त तीनों दशाओं में आवास खाली न करने पर बिजली और पानी के उपयोग के लिए शुल्क का निर्धारण इकाई के सामान्य प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा, जो आवास में विधुत प्वाइन्ट की संख्या के आधार पर खर्च निर्धारण उत्तर प्रदेश राज्य विधुत परिषद द्वारा निर्धारित विधुत दरों के आधार पर निकाला जायेगा।

सामान्य प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक, उपर्युक्त निर्धारित दरों के अनुसार किराया वसूल किये जाने की कार्यवाही करें।

सुधीर कुमार
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि:—</u>

1. समस्त सामान्य प्रबन्ध/अधिशासी निदेशकों को इस आशय से प्रेषित किये गए इस कार्यालय ज्ञाप की प्राप्ति स्वीकार करें तथा आगामी कोरियर के माध्यम से पावती मुख्यालय को प्रेषित करें।
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. अधिशासी के स्टाफ आफीसर
4. प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के वैयक्तिक सहायक

सुधीर कुमार
प्रबन्ध निदेशक

<u>उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, इकाई—डोईवाला, देहरादून</u>

दिनांक:— 28.02.09

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—</u>

1. मुख्य अभियन्ता/अध्यक्ष आवासीय समिति।
2. मुख्य रसायनज्ञ
3. मुख्य लेखाकार
4. सहायक विधि अधिकारी
5. समय कार्यालय प्रभारी
6. सूचना पट

प्रधान प्रबन्धक